तटस्थ उद्धरण 2010: सीजीएचसीः 10018

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 425/2003

याचिकाकर्ता जोहान पन्ना

बनाम

उत्तरदातागण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12 अप्रैल, 2010 को आदेश हेतु सूचीबद्घ करें।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 425/2003

याचिकाकर्ता जोहान पन्ना

बनाम

उत्तरदातागण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री **सतीश के. अग्निहोत्री**

उपस्थितः- श्री उत्तम पाण्डेय, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री वि.वि.एस. मूर्ति, राज्य के उप महाधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(12 अप्रैल, 2010 को पारित)

1. इस याचिका में चुनौती प्रतिवादी क्रमांक 4 पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा पारित दिनांक 6-9-2001 (अनुलग्नक - पी/1) के आदेश को दी गई है, जिसके तहत जांच के आधार पर याचिकाकर्ता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया गया था, प्रतिवादी क्रमांक 3 पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 27-11-2001 (अनुलग्नक - पी/2) के आदेश को दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 6-9-2001 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया था, प्रतिवादी क्रमांक 2 पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित दिनांक 23-4-2002 (अनुलग्नक - पी/3) के आदेश को दी गई है, जिसके तहत दया अपील को खारिज कर दिया गया था और प्रतिवादी क्रमांक 2 पुलिस महानिदेशक द्वारा पारित दिनांक 11-12-2002 (अनुलग्नक - पी/4) के आदेश को दी गई है, जिसके तहत दूसरी दया अपील को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य यह है कि जब याचिकाकर्ता दुर्ग जिले के नवागढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुलिस चौकी दाढ़ी में हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था, तो उसके खिलाफ 5-11-1999 की रात में शराब पीने और दाढ़ी निवासी लोकनाथ साहू के घर में जबरन घुसने और उसके बाद लोकनाथ की बेटी सीता बाई की लज्जा भंग करने की कोशिश करने के कृत्य के लिए अनुलग्नक - पी/5 के तहत जांच शुरू की गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेमेतरा, दुर्ग के न्यायालय में आपराधिक मामला क्रमांक 230/99 के तहत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीता बाई और अन्य प्रासंगिक गवाहों की जांच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 456, 323, 352 और 354 के तहत आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

3. विभागीय जांच में याचिकाकर्ता के विरुद्ध सभी आरोप सिद्ध पाए गए, जांच रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रतिवादी क्रमांक 4 पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा आदेश दिनांक 6-9-2001 (अनुलग्नक - पी/1) द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उपरोक्त दण्ड पारित किया गया। आदेश दिनांक 6-9-2001 के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने अपील प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 27-11-2001 (अनुलग्नक - पी/2) द्वारा खारिज कर दी गई। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिदेशक के समक्ष दया अपील प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 23-4-2002 (अनुलग्नक - पी/3) द्वारा खारिज कर दी गई। पुनः याचिकाकर्ता ने द्वितीय दया अपील प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 11-12-2002 (अनुलग्नक - पी/4) द्वारा खारिज कर दी गई। अतः यह याचिका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री पांडे ने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी का निष्कर्ष विकृत है, क्योंकि मुख्य गवाह सीता बाई, जिनकी विनम्रता याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से अपमानित की गई थी, से आपराधिक न्यायालय में वा.सा.-1 के रूप में पूछताछ की गई थी और 8-8-2001 की उनकी गवाही में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि याचिकाकर्ता ने कभी भी उनकी विनम्रता को अपमानित करने की कोशिश नहीं की और उन्होंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। अन्य संबंधित गवाहों ने भी अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया है और वे मुकर गए हैं। आपराधिक न्यायालय ने सीता बाई (वा.सा.-1), लोकनाथ (वा.सा.-2), कमला बाई (वा.सा.-3), प्रमिला बाई (वा.सा.-4), पोषण (वा.सा.-5), त्रिवेणी बाई (वा.सा.-6), एस.के. शर्मा (वा.सा.-7), लक्ष्मी प्रसाद (वा.सा.-8),

विजय (वा.सा.-9) और राजेंद्र तिवारी (वा.सा.-10) से पूछताछ की। जांच के बाद न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक आरोप साबित नहीं हुए और तदनुसार उसे आपराधिक मुकदमे से बरी कर दिया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि तथ्य समान हैं, गवाह समान हैं और याचिकाकर्ता को आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, तो विभागीय जांच में प्राप्त निष्कर्ष, जो कि आपराधिक न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के विपरीत है, आरोपों के एक ही सेट पर दोषपूर्ण और विकृत है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दंड आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने प्राधिकारियों के समक्ष अपील, दया अपील और द्वितीय दया अपील प्रस्तुत की थी, जिन्हें मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया गया है। आपराधिक न्यायालय से बरी होने के बाद भी, विभाग याचिकाकर्ता की बहाली के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम है। अतः, याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विभागीय जाँच में मुख्य गवाह सीता बाई का नाम तो लिया गया, लेकिन उससे पूछताछ नहीं की गई। उस डॉक्टर से भी पूछताछ नहीं की गई, जिसने याचिकाकर्ता की 13 घंटे की जाँच के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता के शरीर में कोई नशा नहीं पाया गया, हालाँकि यह संभव है कि उसने 13-14 घंटे पहले शराब पी हो।

8. आपराधिक मामले में दर्ज अपराध करने के आरोप विभागीय जांच में आरोपों के समान थे। संशोधित आरोप पत्र दिनांक 21-7-2000 (अनुलग्नक - पी / 8) में गवाह की एक सूची संलग्न की गई थी जिसमें शिकायतकर्ता सीता बाई सीरियल नंबर 1 पर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सीता बाई की जांच अधिकारी के समक्ष जानबूझकर जांच नहीं की गई थी, हालांकि आरोपों के आरोप सीता बाई द्वारा की गई शिकायत पर आधारित हैं। जांच अधिकारी ने सीता बाई की जांच पर जोर नहीं दिया, क्योंकि यह बताया गया था कि वह कहीं बाहर गई थी, इसलिए उसका नाम गवाहों की सूची से हटा दिया गया था। अन्य गवाहों; त्रिवेणी बाई, कमला बाई, विजय, पोषण, लोकनाथ, राजेंद्र तिवारी, कु.परमिला, हेड कांस्टेबल शिव प्रसाद और हेड कांस्टेबल मदन लाल की जांच की गई, जो आपराधिक न्यायालय के समक्ष भी गवाह थे।

9. डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि याचिकाकर्ता नशे की हालत में था, हालाँकि, जाँच अधिकारी ने उसकी जाँच नहीं की। इसके बावजूद, जाँच अधिकारी ने माना कि याचिकाकर्ता नशे में था जब वह लोकनाथ के घर में ज़बरदस्ती घुसा और उसके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया। आपराधिक न्यायालय के समक्ष तथा विभागीय कार्यवाही में जांच अधिकारी के समक्ष गवाह एक ही थे।

10. **नागपुर नगर निगम, सिविल लाइंस, नागपुर एवं अन्य बनाम रामचंद्र एवं अन्य**[1] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

> *दूसरा प्रश्न यह है कि यदि उत्तरदाताओं को आपराधिक मामले में बरी कर दिया जाता है, तो क्या उत्तरदाताओं के विरुद्ध लंबित विभागीय जाँच जारी रहनी चाहिए या नहीं। यह एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय विभाग को आपराधिक न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों की प्रकृति पर विचार करने के बाद करना है। सामान्यतः, जहाँ याचिकाकर्ता को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है और आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता है, वहाँ उन्हीं आरोपों, आधारों या साक्ष्यों के आधार पर विभागीय जाँच जारी रखना समीचीन नहीं होगा, लेकिन तथ्य यह है कि केवल याचिकाकर्ता के बरी हो जाने से संबंधित प्राधिकारी की विभागीय जाँच जारी रखने की शक्ति न तो छिनती है और न ही उसके निर्देशन पर किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। हालाँकि, चूँकि विभागीय जाँच शुरू हुए काफी समय बीत चुका है, इसलिए संबंधित प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचने में इस कारक को ध्यान में रखेगा कि क्या उत्तरदाताओं के बरी होने की स्थिति में विभागीय जाँच जारी रखना वास्तव में उचित है। हालाँकि, यदि प्राधिकारी को*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 (1981) 2 SCC 714

लगता है कि जाँच जारी रखने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और ठोस आधार हैं, तो वह ऐसा अवश्य कर सकता है। यदि प्रतिवादी बरी होने पर, हम निर्देश देते हैं कि निलंबन आदेश अपास्त कर दिया जाए और उत्तरदाताओं को बहाल कर दिया जाए और उसके बाद उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, भले ही प्राधिकारी जाँच जारी रखने का निर्णय ले। श्री सांघी कहते हैं कि यदि जाँच जारी रखने का निर्णय लिया जाता है, क्योंकि केवल तर्क सुनी जानी हैं और आदेश पारित किए जाने हैं, तो वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आपराधिक न्यायालय के निर्णय की तिथि से दो महीने के भीतर जाँच पूरी हो जाए। यदि उत्तरदाताओं को दोषी ठहराया जाता है, तो नियमों के तहत कानूनी परिणाम स्वतः ही लागू हो जाएँगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड एवं अन्य**[2] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

"7. इस स्तर पर, अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और विभिन्न आधारों पर बर्खास्तगी के आदेश की वैधता को चुनौती दी, जिसमें यह भी शामिल था कि जिन तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ आपराधिक मामला शुरू किया गया था, उन्हीं पर आधारित विभागीय कार्यवाही को आपराधिक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा में रोक दिया जाना चाहिए था। यह भी बताया गया कि चूंकि अपीलकर्ता को पहले ही बरी कर दिया गया था और

2 (1999) 3 SCC 679

"छापे और बरामदगी" पर आधारित अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन का मामला, जो विभागीय कार्यवाही का आधार भी था, सच नहीं पाया गया था, इसलिए वह सेवा में बहाल होने का हकदार था।"

12. **नर सिंह पाल बनाम भारत संघ एवं अन्य**[3] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"12. अपीलकर्ता द्वारा इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया गया है कि वह एक आपराधिक मामले में शामिल था। उसका तर्क यह है कि उसे अंततः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा की अदालत ने बरी कर दिया था और इसलिए, अपीलकर्ता की आपराधिक मामले में संलिप्तता को उसकी सेवाएँ समाप्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था। चूँकि अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया था, और यह एक स्पष्ट बरी थी, इसलिए उस पर एक आपराधिक मामले में वाद चलाए जाने का जो कलंक लगा था, उसे समाप्त माना जाना चाहिए था और अपीलकर्ता की आपराधिक मामले में संलिप्तता के आधार पर बर्खास्तगी के आदेश को उचित ठहराने के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. **अजीत कुमार नाग बनाम महाप्रबंधक (पीजे), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया और अन्य**[4] में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतर्गत:

"11. जहाँ तक आपराधिक न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को बरी करने का प्रश्न है, हमारी राय में, उक्त आदेश निगम को किसी कार्रवाई से नहीं रोकता है, यदि वह अन्यथा अनुमेय हो। हमारे विचार में, कानून पूरी तरह से

3 (2000) 3 SCC 588
4 (2005) 7 SCC 764

स्थापित है। आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से नियोक्ता को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित नहीं किया जाएगा। आपराधिक और विभागीय, दोनों कार्यवाहियाँ पूरी तरह से भिन्न हैं। ये अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित होती हैं और इनके अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। जहाँ आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य अपराधी को उचित दंड देना है, वहीं जाँच कार्यवाही का उद्देश्य विभागीय रूप से अपराधी से निपटना और सेवा नियमों के अनुसार दंड लगाना है। आपराधिक मुकदमे में, याचिकाकर्ता द्वारा कुछ परिस्थितियों में या कुछ अधिकारियों के समक्ष दिया गया अभियोगात्मक बयान साक्ष्य में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। साक्ष्य और प्रक्रिया के ऐसे कठोर नियम विभागीय कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे। दोषसिद्धि का आदेश देने के लिए आवश्यक प्रमाण की मात्रा, अपराध के किए जाने को दर्ज करने के लिए आवश्यक प्रमाण की मात्रा से भिन्न है। दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित नियम भी लागू नहीं होता है। आपराधिक कानून में, सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और जब तक अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता के अपराध को "उचित संदेह से परे" साबित नहीं कर पाता, उसे न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी ओर, विभागीय जाँच में, "संभावना की प्रबलता" के आधार पर दर्ज निष्कर्ष के आधार पर दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलकर्ता को बरी करना उसे निगम के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के तहत दायित्व से स्वतः मुक्त नहीं करता है। इसलिए, हम अपीलकर्ता के इस तर्क को बरकरार रखने में असमर्थ हैं कि चूंकि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था, इसलिए उसे सेवा से बर्खास्त करने वाला विवादित आदेश अपास्त किए जाने और अपास्त किए जाने योग्य है।"

14. **जी.एम. टैंक बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य**[5] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"20. इस प्रकार यह देखा गया है कि यह बिना किसी साक्ष्य का मामला है। अपीलकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलकर्ता अवैध रूप से परितोषण के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने का दोषी है। प्रतिवादी, अपीलकर्ता पर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता एक लोक सेवक होने के नाते अपनी चल-अचल संपत्ति से संबंधित वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करता था और अपीलकर्ता ने वर्ष 1975 में भी अपनी संपूर्ण चल-अचल संपत्ति दर्शाते हुए विवरणी प्रस्तुत की थी। अपीलकर्ता की चल-अचल संपत्ति के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। वास्तव में, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता पर लगाए गए कथित आरोपों के समर्थन में और/या उनके बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसी प्रकार, अपीलकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय

5 (2005) 5 SCC 446

कथित आरोपों के लिए उन्हीं तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई। यह प्रस्तुत किया गया कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला समान और समान (शब्दशः) तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथ्य और साक्ष्य। अपीलकर्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा उन्हीं तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बाइज्जत बरी कर दिया गया है और इसलिए, विभागीय पक्ष द्वारा उन्हीं तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जारी बर्खास्तगी आदेश न्याय के हित में अपास्त किए जाने योग्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे तथ्यों और कानून के आधार पर भिन्न हैं: इस मामले में, विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला समान और समान तथ्यों पर आधारित हैं और अपीलकर्ता के विरुद्ध विभागीय मामले में आरोप और आपराधिक न्यायालय के समक्ष आरोप एक ही हैं। यह सच है कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामले में आरोप की प्रकृति गंभीर है। पूछताछ और जांच के दौरान अपीलकर्ता के विरुद्ध एकत्रित साक्ष्य और सामग्री के आधार पर उसके विरुद्ध शुरू किए गए मामले की प्रकृति और जैसा कि आरोप-पत्र में दर्शाया गया है, उल्लिखित कारक एक ही हैं। दूसरे शब्दों में, आरोप, साक्ष्य, गवाह और परिस्थितियाँ एक ही हैं। वर्तमान मामले में, आपराधिक और विभागीय कार्यवाहियों में पहले ही समान तथ्यों पर ध्यान दिया जा चुका है या उन्हें मंजूरी दी जा चुकी है, अर्थात, अपीलकर्ता के निवास पर छापा मारा गया था, और

वहाँ से वस्तुओं की बरामदगी हुई थी। जाँच अधिकारी श्री वी.बी. रावल और अन्य विभागीय गवाह ही ऐसे गवाह थे जिनसे जाँच अधिकारी ने पूछताछ की, और उनके बयान के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए थे। आपराधिक मामले में भी उन्हीं गवाहों की जाँच की गई और जाँच के बाद आपराधिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध को किसी भी उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है और अपने न्यायिक निर्णय द्वारा अपीलकर्ता को इस निष्कर्ष पर बरी कर दिया कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि न्यायिक निर्णय नियमित सुनवाई और गरमागरम बहस के बाद दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, विभागीय कार्यवाही में दर्ज निष्कर्षों को बरकरार रखना अन्यायपूर्ण, अनुचित और बल्कि दमनकारी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. हमारी राय में, विभागीय और आपराधिक कार्यवाही में ऐसे तथ्य और साक्ष्य बिना किसी रत्ती भर अंतर के समान थे, इसलिए अपीलकर्ता को सफल होना चाहिए। विभागीय और आपराधिक कार्यवाही के बीच आमतौर पर दृष्टिकोण और साक्ष्य के भार के आधार पर जो अंतर सिद्ध होता है, वह इस मामले में लागू नहीं होगा। हालाँकि घरेलू जाँच में दर्ज निष्कर्ष निचली अदालतों द्वारा मान्य पाए गए थे, लेकिन जब बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कर्मचारी को सम्मानजनक रूप से बरी

कर दिया गया था, तो इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है और पॉल एंथनी मामले में दिया गया निर्णय लागू होगा। इसलिए, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

15. उपर्युक्त निर्णयों में एक समान बात यह है कि जब आपराधिक मामले में उन्हीं गवाहों से पूछताछ की जाती है और आपराधिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध को किसी भी उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है और अपने न्यायिक निर्णय द्वारा याचिकाकर्ता को इस निष्कर्ष पर बरी कर दिया है कि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो विभागीय जाँच में दर्ज किया गया निष्कर्ष आपराधिक न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत होगा और अनुचित होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता सेवा में बहाली का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. जहां तक बकाया वेतन और अन्य परिणामी लाभ दिए जाने का सवाल है, चूंकि याचिकाकर्ता पुलिस विभाग में काम कर रहा है, जिसमें किसी भी अन्य विभाग की तुलना में नियमों और प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए याचिकाकर्ता बकाया वेतन पाने का हकदार नहीं है।

17. सर्वोच्च न्यायालय ने **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अशोक कुमार सिंह एवं अन्य**[6] मामले में यह टिप्पणी की थी कि "एक पुलिस कांस्टेबल, जो अनुशासित बल में कार्यरत है, जिसके लिए किसी भी अन्य विभाग की तुलना में नियमों और प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है, बिना अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहकर गंभीर कदाचार करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से हटा दिया गया।"

18. इसके अलावा, **पुलिस आयुक्त बनाम सैयद हुसैन**[7] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "*कानून के रक्षक से अपेक्षित कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उत्तरदाता को सेवा से हटाने का दंड देते समय कोई त्रुटि की है, विशेष रूप से तब जब उसे कई अवसरों पर कदाचार का दोषी पाया गया है।*"

6 (1996) 1 SCC 302
7 (2006) 2 CGLJ 75

19. उपर्युक्त कारणों से, दिनांक 6-9-2001 (अनुलग्नक - पी/1), 27-11-2001 (अनुलग्नक - पी/2), 23-4-2002 (अनुलग्नक - पी/3) और 11-12-2002 (अनुलग्नक - पी/4) के आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाते हैं। याचिकाकर्ता बिना बकाया वेतन के सेवा में पुनः नियुक्ति का हकदार है।

20. परिणामस्वरूप, रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

21. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ananya Chatterjee